

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्न प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) संस्कृत के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक (सर्वश्री/ श्रीमती)	कहाँ से (राउमायि)	जिला	कहाँ को (राउमायि)	जिला
1	BHANWAR LAL BISHNOI	G.A SEN..SEC.SCHOOL, BILAWAS	PALI	GOVT. SR. SEC. SCHOOL LUNAWAS KALA	JODHPUR
2	Sonu Borana	GOVT. HR.SEC. SCHOOL SANTOKPUR	BHILWARA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL, DOLI (219629)	JODHPUR
3	Sudha Rani	Govt. Sr. Sec. School, Kosana	JODHPUR	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCHOOL, HEWSON MANDI, JODHPUR	JODHPUR
4	RITU MEHRA	GOVT. SR. SEC. SCHOOL LUNAWAS KALA	JODHPUR	SHRI CHAGANRAJ CHOPASANI WALA GOVT. G. S. S. S. JALORI GATE	JODHPUR
5	KIRAN SODHA	GOVT. GIRLS SR. SEC. SCHOOL, HEWSON MANDI, JODHPUR	JODHPUR	Govt. Sr. Sec. School, Kosana	JODHPUR

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्रम संख्या 05 तक अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा। जिन कार्मिकों का परीबीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/ नगर परिषद्/ नगर पालिका/ शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। लम्बे समय से अनुपस्थित/ निलंबित/ कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/ पदस्थापन पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावें। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाइट में कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण करवाया जावें। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक—स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/ कार्यमुक्त आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।

(नियमल डिफेल)

आईएएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक—शिविर—माध्य/ संस्था/ सी—1/ संस्कृत/ स्थानान्तरण/ 2019—20 दिनांक—29.09.19  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(युप—2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 शासन उप सचिव, शिक्षा(युप—2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक—स्कूल शिक्षा/ जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
- 5 सम्बन्धित मुख्य- ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति देवें।
- 6 सम्बन्धित शाला/ संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/ कार्यमुक्त आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।
- 7 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण की प्रभावी मोनिटरिंग करें।
- 8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- 9 सम्बन्धित कार्मिक
- 10 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

